

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(36)नविवि/एनएचपी/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 13 JUL 2020

आदेश

राज्य में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को आवासों की उपलब्धता हेतु लागू मुख्यमंत्री जन आवास-2015 में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 03.04.2017 में वर्णित प्रावधान 3ए के अन्तर्गत Incentive FAR के सम्बंध में वर्णित तालिका के क्रम सं. 9 एवं 17 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

		Road Width	Height	Incentive FAR(Without betterment levy)
9.	Height & Incentive FAR	9m and above upto 12m	15m	0.50
		Above 12m and less than 18m	24m	1.00
		18m and less than 24m	36m	1.50
		24m and less than 30m	45m	2.00
		30m and above	As per building byelaws	2.25
		17.	FAR	Maximum FAR 2.25 plus incentive FAR as per Sr. No. 9 Without betterment levy shall be permissible. Betterment levy shall be chargeble on above incentive FAR of 2.25 as per provision of building byelaws.

यदि पूर्व में किसी स्थानीय निकाय द्वारा किसी प्रकरण में बेटरमेन्ट लेवी जमा हो चुकी है तो जमा राशि रिफंड नहीं होगी एवं ऐसे प्रकरणों को Re-Open नहीं किया जावेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम